# बिहार सरकार
## लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

Emnd

पत्रांक – 6/ग्रा0 ज0 1–101/2015(खण्ड) –419(गा0) पटना – 15 दिनांक –25/01/2018

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,

लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, पटना पूर्व / हिलसा / मधुबनी / गोपालगंज / भागलपुर पश्चिम / जमुई / खगड़िया / सुपौल।

विषय – वर्ष 2017–18 में "मुख्यमंत्री चापाकल योजना" वर्ष 2015–16 के तहत बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति पंचायत पाँच तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड तीन, नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड दो तथा नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड एक की दर से नये चापाकलों का निर्माण एवं बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर प्रति सदस्य 100 की दर से चापाकलों के निर्माण तथा निर्मित चापाकलों के अगले पाँच वर्ष तक रख–रखाव एवं मरम्मति हेतु 71.60 लाख रूपये (एकहत्तर लाख साठ हजार रूपये) मात्र का आवंटन।

"मुख्यमंत्री चापाकल योजना" के तहत बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति पंचायत पाँच तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड तीन, नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड दो तथा नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड एक की दर से नये चापाकलों का निर्माण एवं बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर प्रति सदस्य 100 की दर से चापाकलों के निर्माण तथा निर्मित चापाकलों के अगले पाँच वर्ष तक रख–रखाव एवं मरम्मति हेतु विभागीय पत्रांक – 6/ग्रा0 ज0–1–101/2015 – 1777 दिनांक – 08/07/15 द्वारा 26235.709 लाख रूपये की स्वीकृति दी गयी है। वर्ष 2017–18 के राज्य योजना अन्तर्गत इस योजना से चापाकलों के निर्माण हेतु 71.60 लाख रूपये (एकहत्तर लाख साठ हजार रूपये) मात्र का आवंटन निम्न तालिका के अनुसार किया जाता है :–

| क्रम संख्या | जिला का नाम | प्रमण्डल का नाम | नगर निकाय का नाम | कुल वार्डो की संख्या | भौतिक लक्ष्य | आवंटित राशि (लाख रूपये में) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | अंकों में | शब्दों में |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | पटना | पटना पूर्व | बाढ़, नगर परिषद | 27 | 54 | 15.00 | पन्द्रह लाख रूपये मात्र। |
| 2 | नालन्दा | हिलसा | हिलसा, नगर परिषद | 26 | 52 | 12.48 | बारह लाख अड़तालीस हजार रूपये मात्र। |
| 3 | मधुबनी | मधुबनी | मधुबनी, नगर परिषद | 30 | 60 | 6.00 | छः लाख रूपये मात्र। |
| 4 | गोपालगंज | गोपालगंज | गोपालगंज, नगर परिषद | 28 | 56 | 6.36 | छः लाख छत्तीस हजार रूपये मात्र। |
| 5 | गोपालगंज | गोपालगंज | मीरगंज, नगर पंचायत | 16 | 16 | 1.96 | एक लाख छिआनबे हजार रूपये मात्र। |
| 6 | गोपालगंज | गोपालगंज | बरौली, नगर पंचायत | 21 | 21 | 1.76 | एक लाख छिहत्तर हजार रूपये मात्र। |
| 7 | गोपालगंज | गोपालगंज | कटैया, नगर पंचायत | 13 | 13 | 1.28 | एक लाख अठाईस हजार रूपये मात्र। |
| 8 | भागलपुर | भागलपुर पश्चिम | सुलतानगंज, नगर परिषद | 25 | 50 | 6.00 | छः लाख रूपये मात्र। |
| 9 | जमुई | जमुई | जमुई, नगर परिषद | 30 | 60 | 10.00 | दस लाख रूपये मात्र। |
| 10 | जमुई | जमुई | झाझा, नगर पंचायत | 22 | 22 | 5.00 | पाँच लाख रूपये मात्र। |
| 11 | खगड़िया | खगड़िया | खगड़िया, नगर परिषद | 26 | 52 | 1.75 | एक लाख पचहत्तर हजार रूपये मात्र। |
| 12 | खगड़िया | खगड़िया | गोगरी जमालपुर, नगर पंचायत | 20 | 20 | 1.00 | एक लाख रूपये मात्र। |
| 13 | सुपौल | सुपौल | सुपौल, नगर परिषद | 28 | 56 | 1.860 | एक लाख छिआसी हजार रूपये मात्र। |
| 14 | सुपौल | सुपौल | बीरपुर, नगर पंचायत | 13 | 13 | 0.658 | पैंसठ हजार आठ सौ रूपये मात्र। |
| 15 | सुपौल | सुपौल | निर्मली, नगर पंचायत | 12 | 12 | 0.492 | उनचास हजार दो सौ रूपये मात्र। |
| | | | कुल | 337 | 557 | 71.60 | एकहत्तर लाख साठ हजार रूपये मात्र। |

2. इस योजना पर होने वाला व्यय बजट का मुख्य शीर्ष – 4215–जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय – उपमुख्य शीर्ष – 02–मल–जल तथा सफाई – लघु शीर्ष – 106–मल–जल सेवाएँ – मांग संख्या – 36 – उप शीर्ष – 0104–शहरी क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति एवं स्वच्छता सुविधा का सुदृढ़ीकरण – विपत्र कोड – 36–4215021060104 – विषय शीर्ष – 0104.53.01 मुख्य निर्माण कार्य मतदेय शीर्ष में भारितव्य होगा।

3. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व दरों की स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त कर लेंगे।

4. इस आवंटन से होने वाला व्यय राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण किये जाने वाले चापाकलों पर किया जायेगा।

5. इस आवंटन के अन्तर्गत किया जाने वाला व्यय बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं इनके अन्तर्गत निर्गत सभी सरकारी आदेश के अनुरूप किया जायेगा।

6. आवंटित राशि का व्यय स्वीकृत योजना के अनुसार निर्माण कार्य पर ही किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में स्थापना या दूसरे मद में इस राशि का खर्च नहीं किया जायेगा।

7. आवंटित राशि वित्त विभाग के पत्रांक – एम0 04 – 05/98 – 2561 (वि0 – 2) दिनांक – 17–04–98 के अधीन निकासी हेतु विमुक्त है।

8. कार्यों का प्रगति प्रतिवेदन प्रतिमाह की 10वीं तारिख तक मुख्यालय को निर्धारित प्रपत्र में अवश्य भेज देंगे। प्रगति से जिला पदाधिकारी को भी नियमित रूप से अवगत कराते रहेंगे।

24.1.2018
(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)
अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 479 (आ0)    पटना, दिनांक :– 25/01/2018

प्रतिलिपि – महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. विकास आयुक्त / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार / प्रमंडलीय आयुक्त, पटना / दरभंगा / सारण / भागलपुर / मुँगेर / कोसी को सूचनार्थ प्रेषित।

3. जिला पदाधिकारी, पटना / नालन्दा / मधुबनी / गोपालगंज / भागलपुर / जमुई / खगड़िया / सुपौल / उप–विकास आयुक्त, पटना / नालन्दा / मधुबनी / गोपालगंज / भागलपुर / जमुई / खगड़िया / सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।

4. कोषागार पदाधिकारी, पटना / मधुबनी / गोपालगंज / भागलपुर / जमुई / खगडिया / सुपौल / उप–कोषागार पदाधिकारी, हिलसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. आप्त सचिव, माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

6. सचिव के आप्त सचिव / अभियन्ता प्रमुख सह विशेष सचिव / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) / मुख्य अभियन्ता (यॉत्रिक) / क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, पटना / क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, मुजफ्फरपुर / क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, भागलपुर / क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, पूर्णियाँ / विशेष पदाधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता (मो0) / अधीक्षण अभियन्ता, पटना / अधीक्षण अभियन्ता, दरभंगा / अधीक्षण अभियन्ता, छपरा / अधीक्षण अभियन्ता, भागलपुर / अधीक्षण अभियन्ता, मुँगेर / अधीक्षण अभियन्ता, बेगुसराय / अधीक्षण अभियन्ता, सहरसा / उप निदेशक (मू0) को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित / कार्यपालक अभियन्ता –सह– नोडल पदाधिकारी / कार्यपालक अभियन्ता (मो0–I) / निदेशक, (जल गुणवत्ता) / सहायक अभियन्ता (मूल्यांकण) / प्रभारी, डाटा सेन्टर (बेवसाईट पर प्रकाशन हेतु) / आई0 टी0 मैनेजर / प्रशाखा पदाधिकारी – 4, 6 / कार्यवाह सहायक प्रशाखा–6 को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.1.2018
(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)
अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव